

विश्व दीप दिव्य संदेश


मासिक शोध पत्रिका

वर्ष 29 | अंक 11

विक्रम संवत् 2082

नवम्बर 2025 | पृष्ठ 34

संरक्षक : विश्वगुरु महामण्डलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानन्दपुरीजी



संस्कृति मंत्रालय
MINISTRY OF
CULTURE



प्रकाशक -

संस्कृति मंत्रालय, ज्ञान भारतम् भारत सरकार से संबद्ध कलस्टर केन्द्र

विश्वगुरुदीप आश्रम शोध संस्थान

कीर्ति नगर, श्याम नगर, सोढाला, जयपुर



विश्व दीप दिव्य संदेश

मासिक शोध पत्रिका

वर्ष 29 | अंक 11

विक्रम संवत् 2082

नवम्बर 2025 | पृष्ठ 34

परामर्शदाता

प्रो. बनवारीलाल गौड़

प्रो. कैलाश चतुर्वेदी

डॉ. शीला डागा

प्रो. (डॉ.) गणेशीलाल सुथार

प्रधान सम्पादक

श्री सोहन लाल गर्ग

श्री एम.एल. गर्ग

सम्पादक

डॉ. सुरेन्द्र कुमार शर्मा

सह-सम्पादक

डॉ. रघुवीर प्रसाद शर्मा

तिबोर कोकेनी

श्रीमती अन्या वुकादिन

- प्रमुख संरक्षक -

परम महासिद्ध अवतार श्री अलखपुरी जी

परम योगेश्वर स्वामी श्री देवपुरी जी

- प्रेरणास्रोत -

भगवान् श्री दीपनारायण महाप्रभुजी

- संस्थापक -

परमहंस स्वामी श्री माधवानन्द जी

- संरक्षक -

विश्वगुरु महामण्डलेश्वर परमहंस

श्री स्वामी महेश्वरानन्दपुरीजी

- प्रबन्ध सम्पादक -

महामण्डलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी



ज्ञानभारतम्
॥ न हि ज्ञानेन सर्वं व्यवस्थितं विद्यते ॥

प्रकाशक-



संस्कृति मंत्रालय
MINISTRY OF
CULTURE

संस्कृति मंत्रालय, ज्ञान भारतम् भारत सरकार से संबद्ध कलस्टर केन्द्र

विश्वगुरुदीप आश्रम शोध संस्थान

कीर्ति नगर, श्याम नगर, सोढाला, जयपुर



अनुक्रमणिका

1. सम्पादकीय	डॉ. सुरेन्द्र कुमार शर्मा	3
2. YOGA SUTRAS OF PATANJALI	Swami Maheshwaranandapuri	4
3. संध्या महत्त्व	जयप्रकाश शर्मा	10
4. पाण्डुलिपि विज्ञान	प्रियंका	17
5. तुलसी से आरोग्यवृद्धि	वैद्य बालकृष्ण गोस्वामी	29
4. राष्ट्रोपनिषत्	स्व. डॉ. नारायणशास्त्री काङ्कर	31

विश्वदीप दिव्य संदेश पत्रिका का वार्षिक सदस्यता शुल्क 800/- रुपये

खाता संख्या : 5013053111

IFS Code : KKBK0003541

मुद्रण : कन्ट्रोल पी, जयपुर - मो. : 9549666600

सम्पादकीय

विश्वगुरुदीप आश्रम शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित मासिक शोधपत्रिका का वर्ष 2025 का एकादश अंक आपके करकमलों में अर्पित करते हुए अत्यधिक हर्ष का अनुभव हो रहा है। भारतीय धर्म-संस्कृति के शोधलेखों का यह संग्रह विद्वानों द्वारा सराहा जा रहा है। यह अंक नव संवत्सर विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। विद्वानों द्वारा नियमित भेजे जा रहे शोधलेख हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं व पत्रिका के महत्त्व को भी आलोकित कर रहे हैं। पूर्व अंकों में सभी उच्चस्तरीय विद्वानों के लेख प्रकाशित हुए हैं।

इसमें सर्वप्रथम महामण्डलेश्वर स्वामी महेश्वरानन्दपुरीजी द्वारा लिखित YOGA SUTRAS OF PATANJALI शोध लेख में पातंजलयोगसूत्र के प्रतिपाद्य की आधुनिक सन्दर्भ में उपयोगिता दर्शायी गयी है। जयप्रकाश शर्मा द्वारा लिखित **सन्ध्या महत्त्व** लेख में त्रिकाल सन्ध्या के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए त्रिकाल सन्ध्या की विधि, समय तथा प्रभाव को स्पष्ट किया है। प्रियंका द्वारा लिखित **पाण्डुलिपि विज्ञान** लेख में भारतीय ज्ञान राशि की धरोहर पाण्डुलिपि का अर्थ, पाण्डुलिपियों का स्वरूप, लेखन का आधार, लेखन के उपकरण पाण्डुलिपियों के प्रकार, प्राप्ति स्थल, एवं पाण्डुलिपि संरक्षण की प्राचीन एवं वैज्ञानिक विधि को स्पष्ट किया है। वैद्य बालकृष्ण गोस्वामी द्वारा लिखित **तुलसी से आरोग्य वृद्धि** लेख में तुलसी के पौधे की महत्ता स्पष्ट करते हुए तुलसी के प्रकार, गुणवत्ता एवं तुलसी का स्वास्थ्यरक्षा में किये जाने वाले उपयोग का वर्णन है।

अन्त में स्व. डॉ. नारायणशास्त्री काङ्कर के '**राष्ट्रोपनिषत्**' के कतिपय पद्य प्रकाशित किये गये हैं, जो गुरुशिष्यपरम्परा के गौरव को प्रदर्शित करने के साथ साथ आत्मचिन्तन की प्रेरणा प्रदान करने वाले हैं।

आशा है, सुधी पाठक इन्हें रुचिपूर्वक हृदयंगम करने में अपना उत्साह पूर्ववत् बनाये रखेंगे।

शुभकामनाओं सहित....

-डॉ. सुरेन्द्र कुमार शर्मा

YOGA SUTRAS OF PATANJALI

A Guide to Self-knowledge

Mahamandleshwar Paramhans
Swami Maheshwaranandapuri

विभूति पादः
VIBHŪTI-PĀDAḤ

सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीर्णयोःप्रत्ययाविशेषो भोगःपरार्थात् स्वार्थसंयमात्पुरुषज्ञानम् ॥ ३६ ॥

३६. **sattva-puruṣayoratyantāsaṁkīrṇayoḥpratyayāviśeṣobhogaḥparārthāt-
svārtha-saṁyamātpuruṣa-jñānam**

sattva – purity

puruṣa – consciousness, the true self

atyanta – perfect, very significant

asaṁkīrṇa – not connected, different

pratyaya – perception, thought

aviśeṣaḥ – non-distinction

bhogaḥ – pleasure

para – external, external

artha – goal

sva – own

jñāna – knowledge

External enjoyment is based on the inability to distinguish between the mind and the true self, which are fundamentally different from each other. Knowledge of the true self arises through *samyama* on its goals.

Here "mind" means the identification with the content of consciousness. Everyone has a certain idea of themselves and says of themselves, "I am a doctor, a civil servant, a policeman, a director, an Austrian, an American, a Catholic, a Protestant, a man, a woman, etc." This kind of self-image is not the true self. Those who identify themselves with their "illusory self," which is a transient conception, are subject to a great error.

A drunk who has lost control of himself and his consciousness may even temporarily forget his name or claim to be someone he really is not. After some time, when the effects of the alcohol wear off and he becomes "normal" again, he remembers who he is and what his name is.

Similarly, in our ignorance we think we are the body and identify ourselves with thoughts, feelings, nationality, position, and so on. But the *ātma* has no attributes. The *ātma* is indescribable and cannot be compared to anything we can imagine in the present state of consciousness.

Here are some explanations of terms:

The mind (*manas*) transports all kinds of undifferentiated and unformulated impulses and desires from the subconscious into consciousness. The activity of the mind is *sankalpa* and *vikalpa* (binding and loosening). As bubbles in water rise to the surface and burst, so the mind raises *vrittis* from the subconscious and then lets them submerge again. *Manas* incessantly shuttles back and forth between the subconscious and the conscious.

The intellect (*buddhi*) catches the still unformed and unclear sensations and impulses from the subconscious and decides on the basis of previous experiences what they could be about. On this basis it transmits the contents to the day-consciousness.

A function of the intellect and its "best" part is *viveka*—discernment between right and wrong, good and bad, real and unreal. *Viveka* judges desires according to reason and rightness and tips the scales for fulfilment— or should, anyway.

For example, if you like to eat ice cream, *viveka* will tell you that this is harmful to the teeth and the pain of going to the dentist is greater than the pleasure from eating the ice cream. *Viveka* points out the outcome of the desires and warns of dangers. Then again, the intellect decides whether to follow reason or not.

There are different types of intellect: negative intellect, dry intellect, selfish intellect, positive intellect... The pure intellect is called *sattva-buddhi*. One who has pure thoughts within them has no fear.

Some people are at times assailed by feelings of panic, so that they feel they are losing the ground under their feet. Such anxiety is a symptom of stress that occurs especially in modern civilisation. You want to get twenty things done at once and, of course, you can't. Stress causes certain physical and psychological reactions: sweating, palpitations, depression, nervousness, anxiety, etc. The best remedies for stress are *Yoga-Nidra*, meditation and prayer.

Today, many do not believe in the power of prayer. They only pretend to pray outwardly and for social reasons, not out of an inner need.

Once there was a man who believed in nothing outside the realm of science – not God or anything else. One day he set out to climb a mountain. As he climbed a steep mountain side, he lost his footing, slipped, and fortunately was able to grab a saving branch on a jutting ledge with his fingers.

So, he hung there, swaying over that ledge, and could find no sure footing. Below him was a deep chasm, and no one was there to help him. The climber understandably panicked and began something far beyond his own understanding: he began to pray.

"If you're out there somewhere, God, and I don't believe you exist, but, if maybe you do, come and help me! Then I will know that you exist, and for the rest of my life I will serve you! Oh Lord, I will proclaim everywhere that you do exist and praise you. If you exist, please come and save me! Don't let me die here!"

And truly, on a rock opposite him, God appeared out of nowhere and said to the man,

"You called me?"

"Oh, what luck!" cried the mountaineer in delight. "I am so glad you are real. I have been lost in disbelief for many years. Please, help me!"

"That's why I came. Tell me what you want, and I'll do it."

"I'm hanging here on a thin branch over the precipice, and you ask me what I want? Save my life!"

"You want me to save you. Fine, I'll do it. But tell me first, do you believe in me and trust me with your life?"

"I was incredulous, but now I believe and trust you completely. You have convinced me."

"You believe and trust me one hundred percent?"

"Yes!" gasped the mountaineer, who really had no more nerve for such discussions.

"You will do anything I say?"

"Yes!" The man shouted almost desperately.

The divine apparition replied: "Then let go of the branch now!"

"I'm not that crazy!" the atheist shouted back.

"So, you don't really believe in me after all," God said regretfully and disappeared.

Examine yourself to see if your faith is strong enough that you let go of the branch in this situation? Often "religiosity" is limited to three occasions in life: birth, marriage, and funeral. At the other times, God is in some "drawer".

PURUSHA has two meanings in Sanskrit, depending on the context in which the term is used. In ordinary usage, "*purush*" means man or male and is used for both humans and animals. In religious and philosophical texts, "*purusha*" refers to the supreme self, *ātma*. In the Bhagavad Gītā, the term "*purushottama*" is used more often. This means "pure self." *Purushottama* is the saint, the self-realised one, who comes into the world to help people, and

not, like the other beings, because of attachment to *karma*.

There is a great difference between intellect and *ātma*. *Buddhi* is changeable, because points of view and opinions change with experiences in life. That is why *buddhi* is attributed to matter (*jada*) and not *chetana* (conscious, intelligent, living). The pursuit of intellect always follows pleasure. In India we say one is *chanchal*—restless like a monkey. *Purusha*, on the other hand, is *chetana* (conscious, alive). They are the observer and the true doer. Though there is a fundamental difference between *buddhi* and *ātma*, the ignorant thinks they are the same. This is the illusion of the ego (*asmitā*). Through this "ego delusion" we cannot distinguish between the contents of the intellect and reality. One who overcomes the intellect through *viveka* and realises the *ātma* attains *ātma-gyāna*, or Self-realisation. "Self" means the living and conscious divine light that gives life and consciousness to the living entities. As long as the Self resides in the body, the body lives. It is not the body that is beautiful, but the radiance of the *ātma* that shines from it. If the *ātma* leaves the physical body, the body is dead, and a corpse is soon no longer "beautiful".

Jada-buddhi (the ignorant, darkened intellect), which is misguided, mistaken for the Self, is the cause of pain and sadness in life. It is the obstacle to enlightenment.

Enlightenment can only happen when consciousness is purified. All kinds of negative *vrittis* – selfishness, worry, resentment, greed, resentment, etc. – are blockages that keep us from experiencing reality. The soul, the "swan" that lives in the inner space of our heart, wants to fly high into the sky, but is locked in a cage. This barrier thwarts its attempts at liberation. What is this "cage", in which the soul is imprisoned, made of? It is formed of ignorance and confusion (*moha*). Emotions are mere *vrittis* – "waves" in the mind. The feelings of joy and sadness are temporary and passing stirrings in the consciousness, which falsely identifies itself with these states. So, when you say, "I am sad" or "I am happy," you are identifying with your current state of consciousness.

When you receive a birthday present, you are happy. But if someone forgets your birthday, you are sad. Who is sad or happy? The inner self is never sad, nor is it happy in the sense that we feel. The inner self is always in *ānanda* – pure bliss without any external cause. Splendour and bliss are emanations of the *ātma* reflected in consciousness. Sometimes it is

not clear whether a sensation comes from the *ātma* or from one's own mind. Learn to discriminate, and do not identify yourself with the state of consciousness, but only with the *ātma*.

In the "Self-Inquiry Meditation" of the "Yoga in Daily Life" system, first examine how you are, what good and bad qualities, strengths and weaknesses you have, and what obstacles lie within yourself. Make it your task to remove these obstacles in this lifetime. Through this meditation practice, the best part of the intellect gradually crystallises: *viveka*, discrimination. Through *viveka* you gain clarity about the causes of your difficulties and also find a solution to them. Then spiritual experiences arise that are not only temporary, but shape your consciousness forever.

You are the knower, the self is the object, and between you and the self there is the relation or reflection of knowledge. In other words, the object of meditation is the *ātma*. The *ātma* wants to know "who he is." When the layers and sheaths are removed that prevent the *ātma* from knowing that they are immortal and part of the divine Self, the "knower" and the "object" unite through the "knowledge" and the separation is removed. This is called "pure consciousness" (*sattva buddhi*), which leads to *samādhi* and final union with the true Self. But as long as this realisation is not achieved, there is no end to the problems of life.

The practice of meditation calms and purifies the mind, relieves stress, makes the mind calm, pure and clear and awakens the higher consciousness. The following review during the evening meditation practice is helpful:

What have I accomplished this day?

What thoughts have I cherished?

Did I treat my fellow man with goodwill and understanding?

Ask God (or your inner self) for forgiveness for the mistakes you have knowingly or unknowingly committed.

pavitravichārampavitravachanampavitravastrampavitrasharīrampavitrabhojanam

Pure thought – pure words – pure clothing – pure body – pure food.

These are the fundamentals of spirituality.

संध्या महत्त्व

जयप्रकाश शर्मा

पाण्डुलिपि एवं लिपि विशेषज्ञ
उपनिदेशक -पद्मश्री नारायणदास रामानन्द दर्शन अध्ययन एवं
पाण्डुलिपि शोध संस्थान, जयपुर
विजिटिंग असिस्टेंट प्रोफेसर (मैन्युस्क्रिप्ट सब्जेक्ट रिसर्च)
अभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर

संध्या शब्द की निष्पत्ति व्याकरण रीति से इस प्रकार होती है "सम्यग् ध्यायन्त्यस्यां सा संध्या" इसका अर्थ होता है "जिसमें परब्रह्म परमात्मा का सम्यक् प्रकार से ध्यान किया जाये" उसे संध्या कहते हैं।

पूज्यपाद महर्षि जैमिनी ने

जाते ब्रह्मोपदेशे तु कर्म संध्यादिकं चरेत् ।

अर्थ - ब्रह्म अर्थात् वेद का उपदेश होने पर संध्या आदिक कर्म करना चाहिये-ऐसी आज्ञा दी है। जिससे वेदाध्ययन के साथ ही संध्योपासन करना निश्चित होता है।

संध्या का स्वरूप श्रुति में इस प्रकार कहा है:-

" रक्षांसि ह वा पुरोनुवाके तपोग्रं प्रतिष्ठन्त तान्प्रजापतिर्वरेणोपामन्त्रयत । तानि वरमवृणीताऽदित्यो नो योद्धा, इति तान् प्रजापतिरब्रवीद्योधयध्वमिति । तस्मादुत्तिष्ठन्तं ह वा तानि रक्षांस्यादित्यं योधयन्ति यावदस्तमन्वगात्तानि ह वा एतानि रक्षांसि गायत्रियाऽभिमन्त्रितेनाम्भसा शाम्यन्ति तदुह वा एते ब्रह्मवादिनः पूर्वाभिमुखाः संध्यायां गायत्रियाऽभिमन्त्रिता आप ऊर्ध्वं विक्षिपन्ति ता एता आपो वज्रीभूत्वा तानि रक्षांसि मन्देहारुणे द्वीपे प्राक्षिपन्ति यत्प्रदक्षिणां प्रक्रमन्ति तेन पाप्मानमवधून्वन्त्युद्यन्तमस्तं यन्तमादित्यमभिध्यायन् कुर्वन् ब्राह्मणो विद्वान् सकलं भद्रमश्नुतेऽसावादित्यो ब्रह्मेति ब्रह्मैव सन्ब्रह्माप्येति य एवं वेदः ।

अर्थ - पूर्व समय में राक्षसों ने अनुवाकों से अत्युग्र तप किया। तब प्रजापति (ब्रह्मा) ने उनको वर मांगने को कहा। उन राक्षसों ने यह वर मांगा कि आदित्य (सूर्य) हम से युद्ध करनेवाला हो। उनको प्रजापति ने कहा युद्ध

करो। इसलिये उदय होते सूर्य से वे राक्षस जब तक वह अस्त नहीं होता युद्ध करते हैं। वे राक्षस गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल से शान्त होते हैं (मरते हैं)। वेद के जाननेवाले ब्राह्मण पूर्व दिशा की ओर मुखकर (प्रातः-काल में) संध्या समय में गायत्री मंत्र से मंत्रित जल को ऊपर फेंकते हैं। वह जल वज्ररूप होकर उन राक्षसों को मन्देहारुण नाम के द्वीप में फेंक देता है। जो प्रदक्षिणा करते हैं जिससे पाप को दूर करते हैं। जो उदय होते हुए और अस्त होते हुए सूर्य का ध्यान करता है वह ब्राह्मण विद्वान् सर्व प्रकार के कल्याण को प्राप्त होता है। यह सूर्य है वही ब्रह्म है। वह पुरुष ब्रह्म होकर ब्रह्म में ही मिल जाता है।

पूज्यपाद महर्षि पराशर ने संध्या का लक्षण यह कहा है।

अहोरात्रस्य यः संधिः सूर्यनक्षत्रवर्जितः ।

सा तु संध्या समाख्याता मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः ॥

अर्थ-सूर्य और नक्षत्र (तारा) से रहित दिन और रात के मिलने के समय को तत्त्व के जाननेवाले मुनि लोग संध्या कहते हैं। पूज्यपाद कृष्ण द्वैपायन व्यास ने संध्या का स्वरूप इस प्रकार कहा है:-

उपास्ते संधिवेलायां निशाया दिवसस्य च ।

तामेव संध्यां तस्मात्तत्प्रवदन्ति मनीषिणः ॥

अर्थ - रात्रि और दिन की संधि की बेला जो उपासना की जाती है उसी को बुद्धिमान् लोक संध्या कहते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य संध्या का इस प्रकार वर्णन करते हैं:-

संधौ संध्यामुपासीत नास्तमे नोद्वेते रवौ ।

अर्थ - जब सूर्य न तो उदय हुआ हो और न अस्त हुआ हो उस संधि समय में संध्या की उपासना करनी चाहिये। संध्या दिन में तीन काल (प्रातः, मध्याह्न तथा सायं) में की जाती है।

संध्या त्रैकालिकी कार्या वैदिकी तान्त्रिकी क्रमात् ।

उपासनाया भेदेन पूजां कुर्याद्यथाविधिः ॥

ब्रह्ममन्त्रोपासकानां गायत्री जपनात्प्रिये ! ।

ज्ञानाद्ब्रह्मेति तद्वाच्यं संध्या भवति वैदिकी ॥

अन्येषां वैदिकी संध्या सूर्योपस्थानपूर्वकम् ।

अर्घ्यदानं दिनेशाय गायत्रीजपनं तथा ।
अष्टोत्तरसहस्रं वा शतं वा दशधापि वा ।
जपानां नियमो भद्रे ! सर्वत्राह्निककर्मणि ॥

शूद्रसामान्यजातीनामधिकारोऽस्ति केवलम् ।
आगमोक्तविधौ देवि ! सर्वसिद्धिस्ततो भवेत् ॥

प्रातः सूर्योदयः कालो मध्याह्नस्तदनन्तरम् ।
सायं सूर्यास्तसमयस्त्रिकालानामयं क्रमः ॥ [महानिर्वाण तन्त्र]

अर्थ - संध्या तीन काल में करनी चाहिये। वह संध्या दो प्रकार की है, एक वैदिकी और दूसरी तांत्रिकी। उसकी उपासना के भेद से विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिये। ब्रह्म मंत्र (ओंकार) के उपासक गायत्री का जप करते हैं और ब्रह्म की उपासना जिससे करते हैं वह वैदिकी संध्या कहलाती है। अन्य ग्रहस्थियों के लिये वैदिकी संध्या वह है जिसमें सूर्य का उपस्थान, सूर्य को अर्घ्यदान तथा गायत्री जप हो। **नित्य कर्म में गायत्री जप १००८ या १०८ या १० बार करने का सर्वत्र नियम है।** शूद्र व सामान्य जाति के लिये तंत्रोक्त संध्या कही गई है जिससे सर्वसिद्धि होती है। सूर्य के उदय के समय को प्रातः, उसके पश्चात् मध्याह्न और सूर्य के अस्त समय को सायं कहते हैं इसप्रकार संध्या के तीन कालों का क्रम कहा गया है।

संध्योपासन का क्रम संवर्त ऋषि ने इस प्रकार कहा है:-

प्रातः संध्यां सनक्षत्रामुपासीत यथाविधिः ।
सादित्यां पश्चिमां संध्यामर्द्धास्त मितभास्कराम् ॥
गायत्रीमभ्यसेत्तावद्यावदादित्यदर्शनम् ।

अर्थ - प्रातः संध्या में जब नक्षत्र (तारे) दिखलाई देते हों तब बैठे। जब तक सूर्य का उदय हो तब तक गायत्री का जप करता रहे और सायं संध्या में जब सूर्य आधा अस्त हो गया हो तब बैठे और नक्षत्र (तारे) दिखने लगे तब तक गायत्री का जप करना चाहिये।

मनुस्मृति में यह विषय स्पष्ट कर दिया गया है -

पूर्वा संध्यां जपंस्तिष्ठेत्सावित्रीमार्कदर्शनात् ।
पश्चिमां तु समासीनः सम्यगृक्षविभावनात् ॥

अर्थ - प्रातःकाल की संध्या में सावित्री को जपता हुआ सूर्य के उदय पर्यंत स्थित रहे, वैसे ही सायंकाल की संध्या में सावित्री को जपता हुआ नक्षत्रों के भलीभांति लक्षित होने तक स्थित रहे।

यही विषय अन्यत्र अन्य रीति से लिखा मिलता है:-

उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्ततारका ।
कनिष्ठा सूर्यसहिता प्रातःसंध्या त्रिधा स्मृता ॥
उत्तमा सूर्यसहिता मध्यमा लुप्ततारका ।
कनिष्ठा तारकोपेता सायंसंध्या त्रिधा स्मृता ॥

अर्थ - प्रातःसंध्या के तीन भेद कहे हैं- उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ । तारों के साथ वाली उत्तम, तारे न दिखते हों वह मध्यम और सूर्य उदय हो गया हो वह कनिष्ठ । इसी प्रकार सायं संध्या के भी तीन भेद हैं- सूर्य के साथवाली उत्तम, तारे न दिखें वह मध्यम और तारे उग जावे वह कनिष्ठ। मध्याह्न संध्या का समय दिन का अष्टम मुहूर्त उत्तम काल बताया गया है ।

पूर्वापरे तथा संध्ये सनक्षत्रे प्रकीर्तिते ।
समसूर्येऽपि मध्याह्ने मुहूर्तः सप्तमोपरि ॥

अर्थ - प्रातः और सायं संध्या दोनों नक्षत्रों के साथ कही गई हैं और मध्याह्न संध्या जब सूर्य दिन का बराबर आधा भाग चला जाय तब करनी चाहिये अर्थात् सूर्य ठीक सिर पर आ जाय या सूर्योदय से सात मुहूर्त से ऊपर समय चला जाय वह मध्याह्न संध्या का समय कहा गया है। सन्ध्या के ही तीन नाम गायत्री, सावित्री और सरस्वती हैं ।

भगवान् वेदव्यास कहते हैं कि:-

गायत्री नाम पूर्वाह्ने सावित्री मध्यमे दिने ।
सरस्वती च सायाह्ने सैव संध्या त्रिषु स्मृता ॥
एतत्संध्यात्रयं प्रोक्तं ब्रह्मण्यं यदधिष्ठितम् ।
यस्य नास्त्यादरस्तत्र न स ब्राह्मण उच्यते ॥

अर्थ - प्रातःकाल में गायत्री, मध्याह्न समय में सावित्री और सायंकाल में सरस्वती ये तीनों नाम सन्ध्या

की अधिष्ठात्री देवताओं के हैं। इन्हीं को तीन सन्ध्या कहते हैं जिनके करने से ब्राह्मणपन रहता है। जिस पुरुष का सन्ध्या में आदर नहीं है अर्थात् जो त्रिकाल सन्ध्योपासन नहीं करता है यह ब्राह्मण नहीं है ॥

प्रातः संध्या के करने से रात्रिकृत पाप का नाश और सायं संध्या के करने से दिन कृत पाप का नाश होता है।

पूर्वा संध्यां जपंस्तिष्ठन्नैशमेनो व्यपोहति ।

पश्चिमां तु समासीनो मलं हन्ति दिवाकृतम् ॥[मनुस्मृति]

अर्थ - प्रातःकाल की संध्या में स्थित जप करता हुआ रात्रि के पाप को दूर करता है और सायंकाल की संध्या में स्थित जप करता हुआ दिन में किये हुए पाप को दूर करता है।

संध्या नहीं करनेवाला किसी भी पुण्य कर्म करने के योग्य नहीं रहता है।

संध्याहीनोऽशुचिर्नित्यमनर्हः सर्वकर्मसु ।

अर्थ- जो संध्या नहीं करता है वह अपवित्र मनुष्य सर्वप्रकार के कर्म करने के योग्य नहीं होता है।
भगवान् मनु तो यहां तक आज्ञा देते हैं कि सन्ध्योपासन न करनेवाले को शूद्र तुल्य समझना चाहिये:-

न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम् ।

स शूद्रवद्वहिष्कार्यः सर्वस्माद्विजकर्मणः ॥

अर्थ-जो पूर्वा अर्थात् प्रातःकाल की संध्या नहीं करता और पिछली अर्थात् सायंकाल को संध्या की उपासना नहीं करता वह शूद्र के समान सब ब्राह्मण के कर्म और अतिथि सत्कार से बाहर करने लायक है।

इससे स्पष्टतया सिद्ध होता है कि सन्ध्योपासन नित्य करना चाहिये। संध्या न करने से ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहता अर्थात् वह अब्राह्मण हो जाता है। महर्षि शतातप के मत से अब्राह्मण छः प्रकार का होता है। यथा:-

अब्राह्मणास्तु षट् प्रोक्ता ऋषिणा तत्त्ववादिना ।

आद्यो राजभृतेस्तेषां द्वितीयः क्रयविक्रयः ॥

तृतीयो बहुयाज्यः स्याच्चतुर्थो ग्रामयाजकः ।

पञ्चमस्तु भृतस्तेषां ग्रामस्य नगरस्य च ।

अनादित्यां तु यः पूर्वा सादित्यां चैव पश्चिमाम् ।
नोपासीत द्विजः संध्यां स षष्ठोऽब्राह्मणः स्मृतः ॥

अर्थ-तत्व के जानने वाले ऋषि ने छः प्रकार के अब्राह्मण कहे हैं। पहला राज की नौकरी करनेवाला, दूसरा खरीदने व बेचनेवाला, तीसरा बहुत यज्ञ करानेवाला, चौथा गांव में यज्ञ करानेवाला, पांचवां इनका नौकर और छठा यह जो प्रातःकाल में सूर्य से पहले और सायंकाल में सूर्यसहित समय में संध्या न करने-वाला ब्राह्मण। अतः संध्या न करनेवाला ब्राह्मण केवल नाम मात्र ब्राह्मण होता है।

संध्या न करने का समय भी बताया जाता है। घर में बालक पैदा होने से जो आशौच होता है वह जननाशौच और मृत्यु होने से जो सूतक होता है वह मरणाशौच कहा जाता है। इन दोनों प्रकार के आशौच में संध्या दश दिन तक करने का निषेध है, यथा:-

संध्यां पञ्चमहायज्ञं नैत्यकं स्मृतिकर्म च ।
तन्मध्ये हापयेत्तेषां दशाहान्ते पुनः क्रियाम् ॥

अर्थ-संध्या, पञ्च महायज्ञ (ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ और नृयज्ञ), नैत्यकर्म तथा स्मार्तकर्म आशौच समय में छोड़ देने चाहिये और दश दिनों के बाद फिर करने चाहिये।

सायं सन्ध्या का निषेध भी किसी किसी समय में कहा गया है, यथा:-

संक्रान्तौ पक्षयोरन्ते द्वादश्यां श्राद्धवासरे ।
सायं संध्यां न कुर्वीत कृते च पितृहा भवेत् ॥

अर्थ-संक्रांति के दिन, दोनों (कृष्ण व शुक्ल)पक्षों के अंतिम दिनों में, द्वादशी, श्राद्ध के दिन सायं संध्या नहीं करनी चाहिये क्योंकि करने से पितृवध का पाप लगता है।

संध्या समय में न करने योग्य कर्मों को भी शास्त्र में बताया है, यथा-

स्वप्नमध्ययनं स्नानमुद्यत्तं भोजनं गतिम् ।
उभयोः संध्ययोर्नित्यं मध्याह्ने चैव वर्जयेत् ॥

अर्थ-नींद, पढ़ना, स्नान, उबटन, भोजन और चलना इन कार्यों को दोनों संध्याकाल (प्रातः और सायं) और मध्याह्न समय में नहीं करना चाहिए।

शातातप ऋषि संध्या करने का फल इसप्रकार बताते हैं:-

अनृतं मद्यगन्धं च दिवा मैथुनमेव च । पुनाति वृषलस्यान्नं बहिः संध्या ह्युपासिता ॥

गृहेषु प्राकृती संध्या गोष्ठे शतगुणा स्मृता । नदीषु शतसाहस्री ह्यनन्ता शिवसंनिधौ ॥

अर्थ - झूठ बोलना, मद्य का गंध, दिन में मैथुन करना और शूद्रान्न इन पापों का ग्राम के बाहर संध्योपासन करने से नाश होता है। संध्या घर में एकगुनी, गोष्ठ में सौगुनी, नदी में लाखगुनी और शिवजी के समीप में अनन्त-गुनी होती है।

पृज्यपाद कृष्णद्वैपायन व्यास ने संध्या का फल इस प्रकार कहा है-

गृहे त्वेकगुणा संध्या गोष्ठे दशगुणा स्मृता । शतसाहस्रिका नद्यामनन्ता विष्णुसंनिधौ ॥

बहिः संध्या दशगुणी गर्तप्रसूवणेषु च । खाते तीर्थे शतगुणा ह्यनन्ता जाह्नवीजले ॥

अर्थ - संध्या घर में एक गुनी, गोष्ठ में दशगुनी, नदी में लाखगुनी और विष्णु के समीप अनन्त गुनी होती है। ग्राम से बाहर दश गुनी, गड़ा, झरना, तालाब, तीर्थ में सौ गुनी और गंगाजल से अनन्तगुनी होती है।

संध्या के न करने से पाप लगता है और करने से पुण्य होता है अतः ऐसा कर्म न करना बड़ी भारी भूल है।

संध्या का आदर न करने से जो ब्राह्मणों की वर्तमान काल में दशा है सो लिखने की आवश्यकता नहीं, वे स्वयं जानते हैं। अतः प्रत्येक ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वह आलस्य व प्रमाद को छोड़ प्रतिदिन तीनों सन्ध्याओं को करता रहे। यदि तीन सन्ध्या न कर सके तो प्रातः तथा सायं ये दो सन्ध्या तो अवश्य करे नहीं तो वह ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं रहता।

संध्या वन्दन से तीनों पापों की शुद्धि - कायिक (शरीरसे), वाचिक (वाणीसे) तथा मानसिक (मनसे) - ये तीन प्रकारके पाप होते हैं। धर्मराज यम कहते हैं कि ये तीनों पाप श्रद्धापूर्वक त्रिकाल-संध्यावन्दन एवं गायत्री-उपासना से नष्ट हो जाते हैं। अतः इस त्रिविध पाप की शुद्धि के लिये त्रिकाल-संध्या करनी चाहिये -

मानसं वाचिकं चैव कायिकं पातकं स्मृतम्।

तस्मात् पापाद्विशुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं दिने दिने ॥

त्रिविधं पापशुद्ध्यर्थं संध्योपासनमेव च।



पाण्डुलिपि विज्ञान

प्रियंका

शोधछात्रा

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र

भारतीय ज्ञान परम्परा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान परम्परा रही है। पहले ज्ञान को श्रुति और स्मृति परम्परा से सुरक्षित रखा जाता था। धीरे-धीरे यह अनुभव होने लगा कि श्रुति परम्परा से ज्ञान को लम्बे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, इस ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए लेखन परम्परा शुरू हुई। भोजपत्र, ताड़पत्र, बाद में कागज पर ग्रन्थ लिखे जाने लगे। इन्हें ही पाण्डुलिपि कहते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हजारों पाण्डुलिपियाँ तैयार हुईं। कई बार एक ही ग्रन्थ की कई प्रतियाँ अलग-अलग मिलती थीं। इसलिए पाण्डुलिपियों की जाँच, तुलना और शुद्ध रूप खोजने के लिए पाण्डुलिपि विज्ञान की शुरुआत हुई।

'पाण्डुलिपि विज्ञान' वह अध्ययन है जिसमें प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों का शोध, संरक्षण और वर्गीकरण किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पाण्डुलिपियों को सुरक्षित रखना, उनकी भाषा, लिपि, सामग्री, लेखन शैली और इतिहास को समझना है। इसमें प्राचीन लेखों, शिलालेखों, दस्तावेजों, पाण्डुलिपियों के लिए उपयोग हुए कागज, भोजपत्र, ताड़पत्र, स्याही, लेखन उपकरण आदि का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। पाण्डुलिपि विज्ञान हमें अतीत की संस्कृति, विज्ञान, कला और लेखन परम्पराओं को जानने में सहायता करता है।

भारत के बहुत से मंदिरों, पुस्तकालयों, विश्वविद्यालयों और संग्रहालयों में पाण्डुलिपि विज्ञान के माध्यम से हजारों पाण्डुलिपियाँ संरक्षित हैं और उनका अध्ययन जारी है। पाण्डुलिपि विज्ञान की भूमिका केवल पाण्डुलिपियों को बचाने की नहीं है। अपितु हमारे इतिहास, संस्कृति और ज्ञान के विशाल भण्डार को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की भी है।

पाण्डुलिपि शब्द का अर्थ एवं परिभाषा

हिन्दी में जिस अर्थ में 'पाण्डुलिपि' शब्द का व्यवहार प्रचलित है उसके लिए विद्वान् 'मातृका' शब्द का प्रयोग करते हैं। वस्तुतः 'मातृका' शब्द मूल हस्तलेख के अर्थ में उपर्युक्त है। 'मातृका' की अनेक हस्तलिखित प्रतिकृतियों के लिए पाण्डुलिपि शब्द का प्रयोग किया जाता है।

'पाण्डुलिपि' शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। 'पाण्डु' तथा 'लिपि'। 'पाण्डु' शब्द गत्यर्थक पङि1 = पङ् धातु को 'नुम्' आगम होकर पण्डुधातु बनती है जिससे औणादिक 'कु' प्रत्यय होकर पाण्डु शब्द निष्पन्न होता है। जिसका अर्थ है सफेदी लिये हुए पीला। जब कोई सफेद वस्तु पुरानी होने लगती है तो उसकी सफेदी में सहज ही पीलापन आने लगता है। वस्तु का यह पीला रंग 'पाण्डु' कहलाता है। 'वाचस्पत्यम्' के अनुसार श्वेत व पीतवर्ण के मिश्रण को पाण्डु वर्ण कहते हैं। व्यावहारिक उपयोग के लिए पाण्डु शब्द का अर्थ 'हाथ' भी लिया जाता है।

लिपि शब्द 'लिप्' धातु से 'इन्' प्रत्यय के योग से निष्पन्न होता है। पाणिनि ने लिप् धातु का प्रयोग 'उपदेहे' अर्थ में किया है, जिसका अर्थ है 'शरीर' या कोई 'पिण्ड' या 'सतह' के ऊपर लेप करना या लिखावट। इस प्रकार वह प्राचीन लेख, जो किसी सतह (भोजपत्र, ताड़पत्र, सफेद कागज या कपड़े) पर हाथ से लिखा गया है, पाण्डुलिपि कहलाता है।

पाण्डुलिपि विज्ञान एवं उसके सहायक शास्त्र

पाण्डुलिपिविज्ञान यद्यपि आधुनिक शैक्षणिक विषयों में गिना जाता है। परन्तु भारतवर्ष की प्राचीन प्रचलित विद्याओं में यह एक शास्त्र के रूप में प्रतिष्ठित रहा है। लिपिविज्ञान, पुरातत्त्व, इतिहास एवं संस्कृति, ज्योतिष, साहित्यशास्त्र, पुस्तकालयविज्ञान, शासकीयलेखविज्ञान तथा राजनीतिविज्ञान आदि पाण्डुलिपिविज्ञान के सहायक शास्त्र माने जाते हैं। पाण्डुलिपि पुस्तकालयों तथा आधुनिक संग्रहालयों को भी पाण्डुलिपि विज्ञान का ही प्रायोगिक अंग माना जाता है।

लिपिविज्ञान में मुख्यतः कागज, चमड़े, तथा मोमपाटी पर लिखी लिपियों का अध्ययन किया जाता है। ये लिपियाँ विविध लिप्याधारों पर किन साधनों से लिखी जाती हैं? वह साधन कूँची है, अथवा मयूरपंख का शीर्षभाग अथवा शलाका? इन सब सन्दर्भों का अध्ययन लिपिविज्ञान में किया जाता है। जब प्राचीन ध्वंसावशेषों का उत्खनन होता है तो उसमें अन्यान्य वस्तुओं के साथ शिलालेखादि भी मिलते हैं। ऐसी मूर्तियाँ अथवा अन्य उपयोगी पदार्थ भी मिलते हैं जिन पर कुछ लिखा रहता है। इन समस्त उत्कीर्ण लेखों को हम पाण्डुलिपि के अन्तर्गत रखते हैं।

इसी तरह इतिहास एवं संस्कृति के माध्यम से हम पाण्डुलिपियों का ऐतिहासिक-सूत्र ढूँढ़ते हैं कि यह किस काल-खण्ड में किस विद्वान् के द्वारा लिखवाई गई अथवा किस संस्कृति से इसका सम्बन्ध है? भारत में सिन्धुघाटी के अतिरिक्त भी तक्षशिला, नालन्दा, विक्रमशिला, काशी, ओदन्तपुरी आदि केन्द्रों में ऐसी समुन्नत संस्कृतियाँ विद्यमान रही हैं जिनमें पाण्डुलिपियों का प्रभूत लेखन हुआ। इतिहास एवं संस्कृति के अध्ययन से हम

इन तथ्यों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष के बिना तो पाण्डुलिपि का ज्ञान ही अधूरा रहता है क्योंकि पाण्डुलिपि की पुष्पिका में आये उसके रचनाकाल को हम बिना ज्योतिषज्ञान के समझ नहीं सकते। तिथि, वार, घटी, करण तथा योग - इन पाँच अंगों से युक्त पञ्चाङ्ग ही हमारी सहायता करता है पाण्डुलिपियों के ज्योतिषीय उल्लेखों को समझने के लिये।

साहित्य तथा साहित्यशास्त्र से भी पाण्डुलिपियों के अनेक तथ्य सुबोध हो जाते हैं। वस्तुतः छन्द भी इसी शास्त्र का अंग है जो वर्णिक एवं मात्रिक-दो प्रकार का होता है। प्रायः प्राचीन पाण्डुलिपियाँ छन्दोबद्ध हैं अतः छन्दः शास्त्र के सहारे इन छन्दों का, सन्दर्भानुसार रसौचित्य समझा जा सकता है। इसी प्रकार शब्दबोध में भी साहित्यशास्त्र सहायक होता है। पाण्डुलिपि में कौन शब्द अभिधा से, कौन लक्षणा या व्यञ्जना शक्ति से अर्थ दे रहा है? यह साहित्यशास्त्र के अध्ययन से ही समझा जा सकता है।

पुस्तकालयविज्ञान हमें पाण्डुलिपियों के रख-रखाव तथा उनकी उपयोगविधि के विषय में शिक्षित करता है। शासकीयलेखविज्ञान मूलतः लिपिविज्ञान की ही एक अभिन्नशाखा है जो मात्र पट्टों, दान-पत्रों एवं शासकीय अभिलेखों से सम्बद्ध है। प्राचीन भारत में न केवल पाण्डुलिपिविज्ञान का अपितु उससे जुड़े उपर्युक्त समस्त शास्त्रों एवं विषयों का भरपूरविकास हुआ।

पाण्डुलिपियों का स्वरूप

पाण्डुलिपियों का स्वरूप बहुआयामी है। लिप्यासन, लेखनशैली, भाषा, लिपि, अलङ्करण तथा संरचना के आधार पर पाण्डुलिपियों का स्वरूप भिन्न भिन्न है। पाण्डुलिपियों का स्वरूप केवल भौतिक रूप तक सीमित नहीं है अपितु इसमें छिपी हुई ऐतिहासिक, भाषिक, विषयगत, सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक विशेषताएँ भी सम्मिलित हैं। पाण्डुलिपियाँ भोजपत्र, ताड़पत्र, चमड़ा, धातु-पत्र, कागज आदि आधारों पर लिखी जाती थी। काजल, गंधक और प्राकृतिक खनिजों आदि से बनी स्याही से लेखन कार्य किया जाता था। ताड़पत्र पर अङ्कित पाण्डुलिपियों की चौड़ाई बहुत कम, प्रायः 3 से 5 से.मी. तक होती थी जबकि लम्बाई बहुत ज्यादा, प्रायः 92 से.मी. तक होती थी। भोजपत्रों पर लिखित पाण्डुलिपियों के आकार प्रायः चौकोर होते थे। पाण्डुलिपियों का आकार छोटा-बड़ा हो सकता था। इन्हें प्रायः सुरक्षित रखने के लिए लकड़ी की पट्टियों के बीच रखा जाता था और धागों से बांधा जाता था। कागज पर लिखते समय भोजपत्रों और ताड़पत्रों पर लिखने की शैली को ही विशेष रूप से अपनाया गया था। कागज पर लिखी गयी पाण्डुलिपियों का एक आकार गोलाकार भी होता था। आज भी जन्मकुण्डलियाँ इसी आकार की बनती है।

पाण्डुलिपियों में भारत की विविध ज्ञान परम्पराएँ वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, न्याय, सांख्य, योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, गणित, वास्तुशास्त्र, रसायन, पुराण, स्मृति आदि सञ्चित हैं। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, कश्मीरी आदि भाषाओं में पाण्डुलिपियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे संस्कृत भाषा में भखशाली पाण्डुलिपि, प्राकृत में धम्मपद पाण्डुलिपि, अपभ्रंश भाषा में पउमचरिउ, कश्मीरी भाषा में राजतरंगिणी आदि पाण्डुलिपियाँ प्राप्त हुई हैं। पाण्डुलिपियों की शैली गद्य, पद्य तथा मिश्रित है। छन्द, अलङ्कार और नाटकीय रूपों का विकास पाण्डुलिपियों में संरक्षित है। पाण्डुलिपियों में तत्कालीन समाज, रीति-रिवाज, धार्मिक आस्था और कला का प्रत्यक्ष चित्रण मिलता है। इनमें संगीत, नाट्य, शिल्पकला की झलक भी दिखाई देती है। पाण्डुलिपियाँ राष्ट्र की अमूल्य सम्पदा हैं। ये इतिहास और साहित्यिक परम्परा का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। लेखन सामग्री का रसायन, भोजपत्र की संरचना, आर्द्रता और तापमान का प्रभाव सब वैज्ञानिक विश्लेषण का विषय है।

पाण्डुलिपि ग्रन्थ - रचना प्रक्रिया

पाण्डुलिपियों के लेखन की अपनी एक विशिष्ट प्रक्रिया रही है जिसका सांगोपांग विवरण प्राचीन भारतीय साहित्य में मिलता है। पाण्डुलिपि निर्माण का प्रथम बिंदु है उसका लेखक तथा लेखन की भौतिक सामग्री। लेखक के अनेक पर्याय प्राचीन साहित्य में मिलते हैं। लेखक को ही कर्णिन्, लिपिक, लिपिकार तथा कालांतर में कायस्थ भी कहा गया है। लेखन में अनेक परम्पराएँ प्रचलित थी, इनमें सर्वाधिक महत्व आनुष्ठानिक परम्परा का था। प्रायः लोग अभीष्ट देवता को प्रसन्न करने के उद्देश्य से स्त्रोत्रग्रन्थों की प्रतियाँ बनवा कर वितरित करने का संकल्प लेते थे। कभी-कभी अपने सम्प्रदाय सिद्धांत के प्रचार-प्रसार हेतु भी ग्रन्थविशेष की प्रतिलिपियाँ लिपिकारों से बनवाई जाती थी।

पाण्डुलिपि के लेखन में कुछ अर्हतायें अनिवार्य थी कि लिखने से पहले आधार पर प्रयाप्त हाशिया छोड़ कर चारों ओर रेखा खींचकर आधार के मध्य में एक आयताकार कोष्ठक बना लिया जाता था। उस कोष्ठक के भीतर लिखने का कार्य किया जाता था। पंक्तियाँ बिल्कुल सीधी और अक्षरों की लम्बाई तथा चौड़ाई समान रखी जाती थी। कहीं पर भी, किसी भी पंक्ति को प्रायः खण्डित या छोटा-बड़ा नहीं किया जाता था। पाण्डुलिपियों में विराम चिह्नों का प्रयोग न करके 'अथ' एवं 'इति' जैसे शब्दों से प्रारम्भ और समाप्ति बता दी जाती थी। प्रश्नादी का बोध कराने के लिए किम्, कथम्, कस्मात् आदि सर्वनामों का प्रयोग कर वाक्य निर्मित कर लिया जाता था। छन्दों में यति का निर्देश प्रायः अक्षर-संख्या के आधार पर निर्धारित होता था।

साहित्यिक पाण्डुलिपियों में ग्रन्थ के प्रारम्भ में मंगलाचरण तथा ग्रन्थ के अंत में पुष्पिका होती थी।

मंगलाचरण का काव्यशास्त्रीय निर्देश यह था कि प्रारम्भ में या तो अभीष्ट देवता को नमन अर्पित हो या फिर सीधे मंगलवाची शब्द का प्रयोग करते हुए ग्रन्थ आरम्भ कर दिया जाए। यह मंगलाचरण नाट्यकृतियों में नान्दीपाठ के रूप में आता है। अंत में पुष्पिका होती थी जिसमें कवि अपना वंशपरिचय देता था तथा ग्रन्थ की समाप्ति घोषित करता था।

पाण्डुलिपियों के लेखनाधार

प्राचीन भारतीय श्रुतसम्पदा की रक्षा में तत्कालीन लेखन सामग्री का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस सामग्री के तहत मिट्टी के पात्र, सिक्के, मुहरें, शिलाखण्ड, पाषाण, ताम्रपत्र, मिश्रित धातुपत्र, स्वर्ण व रजतपत्र, मिट्टी की कच्ची व पक्की ईंटें, चर्म, कपड़ा, ताड़पत्र, भोजपत्र, काष्ठ पट्टियाँ, हस्त निर्मित कागज व प्राकृतिक संसाधनों से निर्मित स्याही, कलम, दवात आदि प्रमुख हैं।

सर्वप्रथम लेखन के प्रमाण गुफाओं की दीवारों पर बने चित्रों और लेखों के प्राप्त हुए हैं। इन चित्रों में कुछ चित्र मानव, पशु, पक्षी जैसे परिचित प्राणियों के हैं। कुछ ऐसे चित्र भी उनमें प्राप्त होते हैं जिनकी सत्ता इस पृथ्वी पर कभी नहीं रही जैसे हिरण के पैरों के नाखून, घोड़े की पीठ पर पंख आदि। इन चित्रों में प्रयुक्त लाल, हरे व सफेद रंग स्थानीय वनस्पतियों और खनिजों से तैयार किए गए हैं जो आज भी स्थाई हैं। मध्यप्रदेश के सरगुजा जिले में रामगढ़ की पर्वतश्रृंखला में जोगीमारा गुफा की खोज हुई जिसकी दीवार पर ब्राह्मीलिपि में एक पद्य अङ्कित है जिसमें कवियों की प्रशंसा की गई है-

आदिपयन्ति हृदयं सभावगरुका कवयो एतितयं ।

दुले वसन्तिया हि सावानुभूते कुन्दस्ततं एवमालंगति ॥

मध्यप्रदेश में ही भोपाल एवं होशंगाबाद की गुफा भित्तियों पर भी ढेर सारे चित्र एवं आलेख अङ्कित किये गये हैं।

गुफा भित्तियों के अनन्तर पाषाण अथवा शिलालेखों का विकास हुआ। पाषाणीय लेख चट्टानों, शिलाओं, स्तम्भों आदि पर उत्कीर्ण हुए प्राप्त होते हैं। इन पाषाणखण्डों को तरासकर चिकना व लेखन के अनुकूल बना कर लिखा जाता था। सम्राट अशोक ने सर्वप्रथम समाजोपयोगी धर्मदेशनायें पाषाणों एवं स्तम्भों पर लिखवाई थी। वे पाषाणलेख व स्तम्भलेख गान्धार से लेकर दक्षिण पश्चिम भारत तक उपलब्ध हैं जिनमें प्रमुख हैं कालसी, शाहबाजगढ़, मानसेहरा, नालन्दा, इलाहाबाद आदि। सम्राट् रुद्रदामन् का गिरनार लेख (१५०

ई०) तथा खारवेल का हाथीगुम्फा लेख भी शिलाओं पर ही लिखे गए हैं।

मिट्टी की कच्ची अथवा पक्की ईंटों पर भी प्राचीन लेख प्राप्त होते हैं। इन पर नुकीली कील द्वारा लिखकर आग में पकाया जाता था जिससे लम्बे समय तक सुरक्षित रह सकें। भारतीय संग्रहालयों में चीनी-मिट्टी के बर्तनों तथा ठीकरों पर अङ्कित हजारों लेख व चित्र आदि संग्रहित हैं जो सिन्धु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ों, कालीबंगा, पीलीबंगा, मेसोपोटामिया आदि विविध स्थानों की खुदाई से प्राप्त हुए हैं। नालन्दा एवं राजस्थान से मिट्टी की अभिलिखित मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं।

प्राचीन काल में लेखन सामग्री हेतु स्वर्ण, रजत, ताम्र, कांस्य, लोह, मिश्रित धातु आदि का प्रयोग भी बहुतायत में हुआ है। स्वर्ण एवं रजत का प्रयोग विविध प्रकार की स्याही बनाने के लिए भी होता रहा है। राजाओं के द्वारा दिये गये भूमिदान, धार्मिक संदेश और अधिकार पत्र ताम्बे की पट्टिकाओं पर अङ्कित किये जाते थे। धातु पर लिखना इतना महंगा और श्रम साध्य था इसलिए इनका प्रयोग सामान्य ग्रन्थ लेखन में नहीं हो पाया।

काष्ठफलक अथवा लकड़ी की पाटी पर भी पाण्डुलिपि लेखन किया गया। इन काष्ठ पट्टिकाओं पर राजाज्ञाएँ तथा विविध लिपियों की वर्णमालाएँ प्राप्त होती हैं। हिमालय क्षेत्र विशेषकर कश्मीर में पाए जाने वाले भोजवृक्ष की छाल पर लेखन कार्य का विकास हुआ। यह इतनी मजबूत, चिकनी तथा विशाल आकार की होती है कि इसे बड़ी सरलता से कागज के पत्ते के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। भोजपत्रों का प्रयोग तंत्र-मंत्र व ज्योतिषीय ग्रन्थों के लिखने में अधिक हुआ है।

लेखनाधार के रूप में दक्षिण भारत और पश्चिम भारत में ताड़पत्र का प्रयोग हुआ। ताड़ के पेड़ के बड़े पत्तों को काटकर सुखाकर फिर उन्हें समतल करके लेखन योग्य बनाया जाता था। विश्व प्रसिद्ध सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के सरस्वती भवन में आज भी एक लाख चौदह हजार ताड़ पत्रों पर अङ्कित पाण्डुलिपियाँ सुरक्षित हैं। पत्ते पर लिखने की एक किंवदन्ती है कि महर्षि पतञ्जलि ने पीपल के पत्तों पर 'महाभाष्य' नामक ग्रन्थ लिखा था।

कपड़े पर लिखने की प्रथा महाभारत युग में थी। संदेश कपड़े पर लिखकर भेजे जाते थे। रथ के ध्वज पर लिखने के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। चीन में रेशमी कपड़ों पर ग्रन्थ लिखने की प्रथा थी। चमड़े पर लिखने की प्रथा भारत में नहीं थी।

प्राचीन भारतीय लेखन आधारों में से कागज एक महत्वपूर्ण साधन है। सर्वप्रथम कागज बनाने की विधि चीन में विकसित हुई थी। भारत में कागज बनाने हेतु वृक्षों कि छाल, कच्चे बाँस, रेशम, रुई, पुराने रस्सों, पटसन आदि को गला सड़ा कर लुगदी तैयार की जाती थी। लुगदी से कागज बनाया जाता था। कागज पर लिखते समय भोजपत्रों पर लिखने की शैली को ही विशेष रूप से अपनाया गया है। भारत में उपलब्ध कागज पर लिखी गई प्राचीन पाण्डुलिपि कवि भासकृत 'पञ्चरात्र' नाटक की प्रति का उल्लेख मिलता है जो नेपाल से प्राप्त हुई है। यह हस्तलिपि अब कोलकाता के 'आशुतोष संग्रहालय' में सुरक्षित है। पाण्डुलिपियों के लेखन आधार केवल सामग्री मात्र नहीं हैं अपितु ऐतिहासिक स्मृति के जीवन्त साक्षी हैं।

पाण्डुलिपि लेखन के प्रमुख उपकरण

पाण्डुलिपि लेखन के प्रमुख उपकरण हैं रेखापाटी, धागा, सुनहरी एवं रुपहली स्याही, सामान्य काली स्याही तथा चित्र रचना में प्रयोज्य विविध रंग। सबसे मुख्य उपकरण स्याही और लेखनी थे।

रेखापाटी का अर्थ है रेखा खींचने के लिए काष्ठ निर्मित पट्टिका। यह आधुनिक स्केल जैसा उपकरण होता था। इसके सहारे पत्थर, मृत्फलक, भोजपत्र, काष्ठफलक, ताड़पत्र, वस्त्र के ऊपर पहले रेखाएं बनाई जाती थी ताकि पंक्ति सीधी रहे। हरताल के पीले रंग में डोरे को डुबोकर इन्हीं रेखाओं पर रंगीन रेखा खींची जाती थी और इसी रेखा पर लेखन किया जाता था। सुनहरी एवं रुपहली स्याही का प्रयोग पाण्डुलिपि लेखन में साज-सज्जा के लिए किया जाता था।

मुख्य रूप से काली स्याही का सबसे ज्यादा प्रयोग होता था। स्याही बनाने की विशिष्ट विधि होती थी। सबसे सरल विधि तिल के तेल का दीपक जलाकर उसकी लौ के ऊपर मिट्टी का पात्र उल्टा रख दिया जाता था, जिस पर काजल की परत जम जाती थी। इस काजल में बबूल या नीम के पेड़ से प्राप्त प्राकृतिक गोंद का पानी में घोला हुआ मिश्रण मिलाया जाता था। गोंद स्याही को गाढ़ापन देता था और उसे लेखन की सतह पर चिपकने में मदद करता था।

स्याही में रौंगणी नामक पदार्थ मिलाने से चमक आ जाती थी और मक्खियाँ भी पास नहीं आती थी। यह स्याही भोजपत्र और बाद में कागज पर लिखने के लिए उत्तम थी। ताड़ के पत्तों पर लिखने के लिए स्याही में लोहे का अंश मिलाया जाता था।

पाण्डुलिपियों को आकर्षक बनाने, अध्यायों को अलग करने, शीर्षकों को चिह्नित करने या चित्रों के लिए

विभिन्न रंगों का प्रयोग होता था। लाल स्याही गेरू, सिन्दूर को गोंद के पानी में मिलाकर बनाई जाती थी। इसका प्रयोग ज्यामितीय आकृतियाँ बनाने के लिए किया जाता था। पीली स्याही के रूप में हल्दी या हरताल का उपयोग किया जाता था। हल्दी का उपयोग गलत लिखे अंशों को मिटाने के लिए किया जाता था।

लेखनी के रूप में मुख्य रूप से नुकीली शलाका तथा स्याही वाली कलम का प्रयोग किया जाता था। ताड़पत्रों पर लिखने के लिए धातु से बनी नुकीली शलाका का प्रयोग होता था। इस लेखनी से ताड़पत्रों पर अक्षरों को उकेरकर फिर काजल में तेल मिलाकर उकेरे हुए अक्षरों पर लेप लगा दिया जाता था। इसके बाद कपड़े से सतह को पोंछ दिया जाता था। ऐसा करने से स्याही का मिश्रण सिर्फ उकेरी गई रेखाओं में भर जाता था और अक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते थे।

भोजपत्र और कागज जैसी नरम सतहों पर स्याही से सीधे लिखा जा सकता था। इसके लिए सरकण्डे या बांस से बनी लेखनी का प्रयोग होता था। सरकण्डे के एक टुकड़े को लेकर उसे कलम की तरह टेढ़ा काट लेते थे। इससे लेखन कार्य करना सरल होता था। बाद में कुछ क्षेत्रों में हंस या मोर जैसे बड़े पक्षियों के पंखों से भी कलम बनाने का चलन शुरू हुआ। इसके डंठल को भी सरकण्डे की तरह ही काटकर नोक बनाई जाती थी। लेखनी ने मानव सभ्यता को विचारों की अभिव्यक्ति और उन्हें सुरक्षित रखने का माध्यम दिया।

पाण्डुलिपियों के प्रकार और प्रमुख पाण्डुलिपियाँ

पाण्डुलिपियों के अनेक प्रकार उपलब्ध होते हैं पाण्डुलिपि लेखन के आधार, आकृति, लेखन शैली, रूप विधान की दृष्टि से मुख्यतः चार प्रकार हैं। पाण्डुलिपि का प्रथम प्रकार लेखन के आधार पर आश्रित है। पाण्डुलिपियाँ गुफाभित्ति, पाषाण, चर्मपत्र, ताड़पत्र, भोजपत्र, कागज आदि आधारों पर लिखी गई थी।

आकृति के आधार पर पांच प्रकार की पाण्डुलिपियाँ होती हैं, गण्डी, कच्छपी, मूष्टि, सम्पूटफलक, छेदपाटी। जो पुस्तक मोटाई, चौड़ाई दोनों में समान हो उसे गण्डी कहते हैं। ताड़पत्र पर लिखी पाण्डुलिपियाँ प्रायः गण्डी होती हैं। जो कच्छपाकृति हो अर्थात् बीच में चौड़ी तथा किनारे संकरे हो उस पाण्डुलिपि को कच्छपी कहते हैं। इस प्रकार की पाण्डुलिपियाँ सम्पूर्णानंद विश्वविद्यालय में सुरक्षित है। जो पाण्डुलिपियाँ मुष्टिग्राह्य हों उसे मुष्टि कहते हैं। ये प्रायः छोटे और महीन अक्षरों में भोजपत्र या कागज पर लिखी जाती थी। सम्पूटफलक उस पाण्डुलिपि को कहते हैं जो काष्ठ पट्टिकाओं से बंद हो। कम चौड़े और कम पन्नों तथा कम मोटाई वाली पाण्डुलिपियों को छेदपाटी कहा जाता है।

लेखन शैली के आधार पर पाण्डुलिपियाँ आठ प्रकार की होती हैं। त्रिपाठ, पंचपाठ, शुण्डाकार, सचित्र पुस्तक, स्वर्णाक्षर लिपि, रजताक्षर लिपि, सूक्ष्माक्षर लिपि, स्थूलाक्षर लिपि। रूप विधान के आधार पर पाण्डुलिपियाँ तीन प्रकार की होती हैं, त्रिपाठ, पंचपाठ, शुण्डाकार। त्रिपाठ शैली वह है जब पाण्डुलिपि का मूल अंश मोटे अक्षरों में बीचों-बीच लिखा जाता था तथा उसकी टीका महीन अक्षरों में ऊपर तथा नीचे लिखी जाती थी। इस प्रकार लिखने से पृष्ठ तीन पाठों में विभक्त हो जाता था। पंचपाठ शैली में टीका ऊपर नीचे लिखने के साथ-साथ बाएँ और दाएँ भी लिखी जाती थी। शुण्डाकार शैली में ऊपर की पंक्ति लंबी और नीचे की पंक्तियाँ क्रमशः दोनों ओर से छोटी होती जाती थी।

कुछ प्रमुख पाण्डुलिपियाँ जो एशिया महाद्वीपों में भिन्न-भिन्न स्थानों से प्राप्त हुई। प्रथम पाण्डुलिपि है, भखशाली पाण्डुलिपि जो भोजपत्रों पर शारदा लिपि में निबद्ध संस्कृत भाषा में रचित है। यह पाण्डुलिपि १८८१ ई० में पाकिस्तान के मर्दान नामक स्थान पर एक किसान को खेत की खुदाई करते समय मिली थी। यह ज्योतिष गणित का एक ग्रन्थ है। बावेर पाण्डुलिपि गुप्त कालीन ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। इसकी भाषा प्राकृत मिश्रित संस्कृत है। यह १८९० ई० में चीन के जिंनजियांग में कुमतुरा नामक स्थान से प्राप्त हुई थी। यह पाण्डुलिपि आयुर्वेद के प्राचीनतम स्वरूप को प्रकट करती है। गिलगित पाण्डुलिपियाँ कश्मीर के मुजफ्फराबाद जनपद में है। विभाजन के पूर्व यह स्थान बौद्ध संस्कृति का महान केंद्र था। इन पाण्डुलिपियों की लिपि शारदा, भाषा बौद्ध संकर संस्कृत है।

उपरोक्त पाण्डुलिपियाँ भारत के बौद्धिक और सांस्कृतिक इतिहास के विशाल भण्डार का एक छोटा सा हिस्सा है। यह हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं और हमारी विरासत की गहराई को दर्शाती हैं। इन पाण्डुलिपियों के अतिरिक्त गॉडफ्रे पाण्डुलिपि, होरियूजी पाण्डुलिपि, तुरफान, पैप्पलाद संहिता आदि पाण्डुलिपियाँ भिन्न-भिन्न स्थानों पर हमें प्राप्त हुई हैं।

पाण्डुलिपियों के स्रोत

पाण्डुलिपियों के स्रोतों से तात्पर्य उन स्थानों, संस्थाओं और संग्रहालयों से होता है जहाँ से हमें पाण्डुलिपियाँ प्राप्त हुई हैं। प्राचीन समय में पाण्डुलिपियों के प्रमुख स्रोत मठ, मंदिर और बौद्ध विहार रहे हैं। मठ और मन्दिर केवल पूजा या साधना के स्थल नहीं थे अपितु शिक्षा और ज्ञान के प्रमुख केन्द्र भी थे। मन्दिरों के गर्भगृहों में पाण्डुलिपियों को सुरक्षित रखा जाता था। यहाँ पर वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि अनेक धार्मिक व दार्शनिक ग्रन्थों की प्रतिलिपियाँ प्राप्त होती हैं। मन्दिरों के पश्चात मठों में पाण्डुलिपियों को

सुरक्षित रखा गया था। राजदरबार भी पाण्डुलिपियों के प्रमुख स्रोत रहे हैं, राजदरबारों में विद्वान् और राजपुरोहित शास्त्रार्थ तथा ग्रन्थ रचना करते थे और राजा अपने पुस्तकालयों में पाण्डुलिपियों का संरक्षण करते थे जहाँ से कालांतर में असंख्य पाण्डुलिपियाँ खोजी गई हैं।

पाण्डुलिपियों के दूसरे बड़े स्रोत शैक्षणिक संस्थान और गुरुकुल रहे हैं। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे विश्वविद्यालयों में न केवल शिक्षा दी जाती थी, बल्कि ग्रन्थों की नकलें तैयार की जाती थी और विद्वानों द्वारा इनका संकलन भी किया जाता था। यहाँ से अनेक दुर्लभ पाण्डुलिपियाँ हमें प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त घर-परिवार भी पाण्डुलिपियों के स्रोत रहे हैं। कई विद्वान्, कवि, पण्डित और आचार्य अपने निजी प्रयोजन के लिए या अपने शिष्यों को पढ़ाने के लिए ग्रन्थ तैयार करते थे और इन्हें अपने घरों में संरक्षित रखते थे। इन्हीं से आगे चलकर पारिवारिक संग्रह या निजी पुस्तकालय बने जो आज पाण्डुलिपियों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत सिद्ध हो रहे हैं। बिहार में स्थित 'खुदाबख्श पुस्तकालय' खुदाबख्श का निजी पुस्तकालय था। १८९१ ई० में इसे सार्वजनिक पुस्तकालय बना दिया गया तब इसमें पाण्डुलिपियों की संख्या ६००० थी। इन्हीं स्रोतों से साहित्यिक ग्रन्थों के साथ-साथ आयुर्वेद, ज्योतिष, गणित, खगोल, संगीत और वास्तुशास्त्र से संबंधित पाण्डुलिपियाँ भी उपलब्ध हुई हैं।

पाण्डुलिपि संरक्षण

पाण्डुलिपियाँ किसी भी देश की धरोहर होती हैं जिसमें उस देश का अतीत और संस्कृतियाँ छिपी होती हैं। हमारे देश में प्राचीन काल से ही पाण्डुलिपियों की सुरक्षा के विविध उपाय किए जाते थे तथा वर्तमान समय में राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन नई दिल्ली के माध्यम से पाण्डुलिपियों की खोज तथा उनको चीर काल तक सुरक्षित रखने के विविध उपाय किए जा रहे हैं। पाण्डुलिपियों की सुरक्षा के उपायों को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं पारंपरिक तथा वैज्ञानिक उपाय।

पारम्परिक उपायों के अंतर्गत वे साधन या विधियाँ आती हैं जिनकी सहायता से प्राचीन काल में पाण्डुलिपियाँ सुरक्षित रखी जाती थी। वस्तुतः इन साधनों का उपयोग इनके लेखन से ही प्रारम्भ हो जाता था। जैसे स्याही में औषधीय गुण युक्त पदार्थ तथा लेखन आधार में हल्दी, कपूर आदि कीटनाशकों के प्रयोग के द्वारा पाण्डुलिपियों की सुरक्षा की जाती थी। इसके अनंतर पाण्डुलिपियों को काष्ठ पट्टिकाओं के बीच में रखा जाता था जिससे उनमें आर्द्रता का प्रवेश न हो सके तथा लाल रंग के वस्त्र में भी लपेटा जाता था। पाण्डुलिपियों को समय-समय पर धूप भी दिखाई जाती थी जिससे उसमें पहले से उत्पन्न आर्द्रता का नाश होता था तथा भविष्य में भी

यह सम्भावना शून्य हो जाती थी। पाण्डुलिपियों को ऐसे स्थान पर रखा जाता था जहाँ पर जलाशय आदि जल स्रोत न हों तथा खिड़की खोलने पर सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा आती हो। ग्रन्थालय में किसी भी प्रकार की ठण्डी हवाओं का प्रवेश नहीं होना चाहिए क्योंकि यह आर्द्रता को लाती हैं जिससे पाण्डुलिपियों में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अतः कक्ष में तापमान सदैव एक समान ही रहना चाहिए।

शीतल हवाओं में उत्पन्न होने वाले विकार का अत्यंत विलक्षण वर्णन महाकवि कालिदास ने 'उत्तरमेघ' में कुछ इस प्रकार से किया है।

नेत्रा नीताः सततगतिना यद्विमानाग्रभूमिरालेख्यानां स्वजलकणिका-दोषमुत्पाद्य सद्यः ।

शङ्कास्पृष्टा इव जलमुचस्त्वादृशा जालमार्गैर्धूमोद्गारानुकृतिनिपुणा जर्जरा निष्पतन्ति ॥1

इस प्रकार, पाण्डुलिपियों के रक्षणार्थ विशिष्टकोटिक भवन का होना अनिवार्य है।

वैज्ञानिक उपायों के अंतर्गत आधुनिक यन्त्रों तथा रसायनों के द्वारा पाण्डुलिपियों का संरक्षण किया जाता है। आधुनिक यन्त्रों के माध्यम से कुछ ही क्षणों में पूरी पाण्डुलिपि की फोटो प्रति बनाकर उसका लैमिनेशन करके स्कैन करके तथा ईमेल, वेबसाइट और इंटरनेट के माध्यम से पाण्डुलिपियों को अनन्त काल के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।

पाण्डुलिपियों के संरक्षण की चुनौतियां

पाण्डुलिपियाँ हमारे प्राचीन ज्ञान, संस्कृति और इतिहास का अमूल्य खजाना हैं। इन्हें सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, लेकिन संरक्षण के रास्ते में कई तरह की चुनौतियाँ आती हैं। सबसे बड़ी समस्या प्राकृतिक कारणों से होती है। पाण्डुलिपियाँ अक्सर ताड़पत्र, भोजपत्र, कपड़े या पुराने कागज पर लिखी होती थी। समय बीतने पर इनमें नमी, धूल, धूप और मौसम का असर पड़ता है और ये धीरे-धीरे टूटने या मिटने लगती हैं। इसके अलावा कीड़े-मकोड़े और दीमक भी इनको बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। दूसरी बड़ी चुनौती उचित जगह और साधनों की कमी है। गाँवों या छोटे पुस्तकालयों में पाण्डुलिपियों को साधारण अलमारियों में रख दिया जाता है, जहाँ तापमान और नमी का नियंत्रण नहीं होता।

पाण्डुलिपियों के अध्ययन में सबसे बड़ी समस्या उनकी भाषा और लिपि की जटिलता है। प्राचीन काल की अनेक पाण्डुलिपियाँ संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, या क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी गई हैं, और उनकी लिपियाँ भी विविध प्रकार की हैं—जैसे ब्राह्मी, शारदा, नागरी, आदि। आज इन भाषाओं और लिपियों को

जानने वाले विशेषज्ञ बहुत कम हैं, जिसके कारण कई पाण्डुलिपियों की भाषा सामान्य पाठकों को समझ में नहीं आती। साथ ही, समय के साथ कुछ अक्षर धुंधले या मिट चुके हैं, जिससे उनके अर्थ का पता लगाना और अनुवाद करना अत्यंत कठिन हो जाता है। यह भाषिक और दृश्य जटिलता संरक्षण के साथ-साथ अध्ययन की प्रक्रिया को भी चुनौतीपूर्ण बनाती है। एक अन्य चुनौती पर्याप्त दस्तावेजीकरण और वर्गीकरण की कमी है। बहुत-सी पाण्डुलिपियाँ बिना किसी सूची या रिकॉर्ड के रखी हुई हैं। जब तक उनका ठीक से वर्गीकरण और सूचीकरण नहीं होगा, तब तक उनका व्यवस्थित संरक्षण संभव नहीं है। डिजिटलीकरण इस दिशा में एक आशा की किरण अवश्य है, परंतु यह कार्य अत्यंत नाजुक और खर्चीला है। कई बार पाण्डुलिपियाँ इतनी जर्जर अवस्था में होती हैं कि स्कैन करना या संभालना भी जोखिम भरा हो जाता है।

उपसंहार:-

पाण्डुलिपि विज्ञान केवल प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों के अध्ययन तक सीमित एक विषय नहीं, अपितु यह किसी भी सभ्यता के बौद्धिक और सांस्कृतिक चेतना को समझने की कुंजी है। यह एक ऐसा सेतु है जो हमें हमारे पूर्वजों के ज्ञान, उनकी सोच, कला और जीवन-दर्शन से सीधे जोड़ता है। इस विज्ञान के माध्यम से हम न केवल यह जानते हैं कि अतीत में क्या लिखा गया, बल्कि यह भी समझते हैं कि उसे कैसे, किन सामग्रियों से और किन परिस्थितियों में लिखा और संरक्षित किया गया। इस शास्त्र का महत्व बहुआयामी है। यह एक ओर जहाँ भाषा विज्ञान और लिपि के क्रमिक विकास को समझने में सहायता करता है, वहीं दूसरी ओर इतिहास के अनछुए पहलुओं को उजागर करता है। पाण्डुलिपियों में निहित ज्ञान, चाहे वह आयुर्वेद का हो, खगोलशास्त्र का हो, गणित का हो या दर्शन का, हमें हमारी गौरवशाली बौद्धिक विरासत से परिचित कराता है। पाण्डुलिपि विज्ञान इन ग्रन्थों का वैज्ञानिक विश्लेषण, संरक्षण और संपादन कर उस ज्ञान को वर्तमान पीढ़ी के लिए सुलभ बनाता है। आधुनिक युग में, जहाँ सूचना प्रौद्योगिकी अपने चरम पर है, पाण्डुलिपि विज्ञान का महत्व और भी बढ़ गया है। डिजिटलीकरण जैसी तकनीकों के माध्यम से इन दुर्लभ और नाजुक पाण्डुलिपियों को न केवल भौतिक क्षरण से बचाया जा रहा है, बल्कि उनके ज्ञान को भौगोलिक सीमाओं से परे दुनिया भर के शोधकर्ताओं और जिज्ञासुओं तक पहुँचाया जा रहा है। पाण्डुलिपि विज्ञान केवल अतीत का अध्ययन नहीं, बल्कि यह भविष्य के लिए ज्ञान के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण मिशन है। यह हमारी सामूहिक स्मृति को सहेजने और यह सुनिश्चित करने का माध्यम है कि हमारे पूर्वजों की अमूल्य निधि आने वाली पीढ़ियों का भी मार्ग प्रशस्त करती रहे।



तुलसी से आरोग्यवृद्धि

वैद्य बालकृष्ण गोस्वामी

जयपुर

तुलसी प्रायः सभी स्थानों पर पाया जाने वाला क्षुप जाति का पौधा है। इसकी ऊंचाई लगभग 1 से 4 फुट तक होती है। शाखाएं सीधी व फैली हुई रहती है। इसके पत्ते 1 से 21/ इंच लंबे, नेत्राकार व सुगन्धित होते हैं। तुलसी की डालियों के अंत में मंजरी लगती है। तुलसी की कुल 22 जातियां पृथ्वी पर पाई जाती है। जिनमें कृष्णतुलसी, रामतुलसी, गंधातुलसी, वन तुलसी, याबी तुलसी, तुकाशमीय तुलसी आदि उल्लेखनीय है। जिसके पत्ते हरे व सफेदी लिए हुए होते हैं उसे राम तुलसी कहा जाता है तथा जिसकी डंडियां व पत्ते कालिमा युक्त हरे रंग के होते हैं उसे कृष्ण तुलसी कहते हैं। गुणों की दृष्टि से कृष्ण तुलसी को श्रेष्ठ माना गया है। तुलसी के पत्तों में बेसिल कैम्फर नाम का एक सुगन्धित तेल पाया जाता है। पीली आभायुक्त हरे रंग का यह तेल उड़नशील होता है। इसी के कारण तुलसी में दिव्यशक्ति पाई जाती है। पत्तों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन विद्यमान रहती है, जो शरीर की चयापचय क्रियाओं को व्यवस्थित रखते हुए पुष्टि प्रदान करती है। आयुर्वेद के मतानुसार तुलसी कटुतिक्त रसयुक्त, हृदय के लिए हितकारी, उष्ण, दाह व पित्तकारी, अग्निदीपक तथा कुष्ठ, मूत्ररोग, रक्तविकार, पसली का दर्द, कफ तथा वायु को दूर करने वाली है।

तुलसी की गुणवत्ता को देखते हुए देश-विदेश में इस पर व्यापक अनुसंधान कार्य किए गए हैं। शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता पैदा कर उसे रोगों से बचाने में तुलसी को बहुत कारगर पाया गया है। मानसिक शांति प्राप्त करने तथा आत्मबल बढ़ाने हेतु तुलसी की उपयोगिता प्रतिपादित की जा चुकी है। यौवन को बरकरार रखकर बुढ़ापे को जल्दी आने से रोकने के लिए तुलसी प्रकृति की अनुपम देन है। तुलसी शरीर में उत्पन्न व बाहर से आए विषाक्त पदार्थों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। भोजन के पूर्व तुलसी खाने या भगवान् के प्रसाद में तुलसी रखने की पम्परा के पीछे भोजन को निरापद बनाना व फूड पॉयजन की संभावना को समाप्त करना प्रतीत होता है। संक्रामक व्याधियां फैलने पर तुलसी का सेवन जीवन रक्षा करता है। कई विकसित देशों में भी इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है।

स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य-रक्षा के अतिरिक्त तुलसी रोगी के निरोग बनाने में पूर्ण सक्षम है। सांस तथा सांस नली की सूजन में तुलसी के पत्तों को शहद के साथ मिलाकर खाने से बहुत लाभ होता है। यह खांसी, टोंसिल तथा गले की सूजन भी दूर करती है। बार-बार जुकाम लगने की स्थिति में सौंठ के 1 ग्राम चूर्ण को 10 तुलसी पत्तों के साथ खाना चाहिये। इसका नियमित सेवन चंद दिनों में लाभ करता है। फ्लू एवं मलेरिया बुखार में तुलसी रामबाण दवा है। काली मिर्च व तुलसी के पत्तों की चाय की तरह उबाल कर पीने से बुखार उतर जाता है। दाल चीनी के साथ तुलसी खाने व मुनक्का मिला काढ़ा बनाकर पीने से प्यास व दाह रोग का शमन होता है। नजला दूर करने के लिए तुलसी के पत्ते 10 ग्राम, काली मिर्च 5 ग्राम तथा जायफल 5 ग्राम को पानी के साथ पीसकर मटर के समान गोलिया बनायें। ये गोली दो सुबह, दो शाम की मात्रा में 15 दिन तक लेने से बहुत फायदा होता है। तुलसी के रस को नाक में डालना भी पुराने जुकाम हेतु उत्तम है। किसी विषाक्त पदार्थ के खाने की आशंका हो तो तुलसी के पत्तों का 2 चम्मच रस मिलाना चाहिए। तुलसी के बीज पेट के कीड़ों को नष्ट करने में बहुत उपयोगी है। आधा ग्राम बीज 1 चम्मच अजवायन के साथ मिलाकर रात में लेने से तीन दिनों में पेट के सभी कीड़े मर जाते हैं। तुलसी के पत्ते लीवर का शोधन करते हैं तथा उसकी निर्विषीकरण की शक्ति को बढ़ा देते हैं। बच्चों का पेट फूलने पर 5 तुलसी के पत्तों की चटनी बनाकर चटाने से फायदा होता है। इसके पत्तों का रस मिश्री के साथ चाटने से लू का दुष्प्रभाव नष्ट हो जाता है। अजीर्ण व मंदाग्नि होने की स्थिति में पत्तों का रस 1 चम्मच, अदरक का रस 1 चम्मच तथा 5 ग्राम गुड़ को मिलाकर पीने से चमत्कारिक लाभ होता है।

तुलसी के पत्तों को पानी में उबालकर सैंधा नमक मिलावें। यह पानी पेट के आफरे व दर्द को तत्काल दूर करता है। स्वप्नदोष एवं धातुक्षीप्ता में तुलसी के बीजों का प्रयोग लाभकारी है। आधा चम्मच बीज 2 चम्मच चीनी में मिलाकर सुबह-शाम के साथ सेवन करना चाहिये। स्त्रियों को श्वेतप्रदर की शिकायत होने पर तुलसी के 10 ग्राम रस को चावल के मांड के साथ सप्ताह पर्यन्त देने से लाभ होता है। यह पौधा मूत्राशय की सूजन तथा पेशाब की जलन को भी दूर करता है। तुलसी की 5 मंजरियों को पत्तों सहित पीसकर पानी में घोल लें। फिर उसमें मिश्री मिलाकर पीने से मूत्रगत विकार नष्ट होते हैं। स्नायुतंत्र के लिए तुलसी टॉनिक का कार्य करती है। नित्य खाली पेट इसका सेवन करने से नाड़ी मंडल मजबूत होता है तथा स्मरण शक्ति बढ़ती है। सिरदर्द व आधा शीशी को दूर करने हेतु तुलसी का प्रयोग गुड़ के साथ करना फलदायक है।

तुलसी के पत्तों के रस का बाह्य प्रयोग भी रोग शमन हेतु कार्यकारी है। कान का दर्द, सूजन व फुंसी में गर्म-गर्म रस डालने से फायदा होता है। इसे घाव में शहद के साथ मिलाकर तथा मुंहासों में बेसन में मिलाकर लगाने से लाभ होता है। रस को दाद, सफेद दाग, एग्जीमा तथा पित्ती उछलने की जगह लगाने से शांति मिलती है व रोग शमन होता है। तुलसी का स्वरस लगाकर मलने से मुंह की कांति बढ़ती है।

राष्ट्रोपनिषत्

रचयिता

स्व. आचार्य डॉ. नारायणशास्त्री काङ्कर विद्यालङ्कारः

(महामहिम-राष्ट्रपति-सम्मानित)

हिन्दी-रूपान्तरण-कर्त्री

सौ. श्रीमती इन्दु शर्मा

एम.ए., शिक्षाचार्या

अंग्रेजी-रूपान्तरण-कर्ता

महामण्डलेश्वरः स्वामी श्री ज्ञानेश्वरपुरी

विश्वगुरुदीप आश्रम शोध संस्थानम्, जयपुरम्

पाठकानां रुचिं दृष्ट्वा, समाचार-प्रकाशकाः ।

सम्पादका अनल्पा न, विरला एव केचन ॥२८२॥

पाठकों की रुचि देखकर समाचार प्रकाशित करने वाले सम्पादक अधिक नहीं हैं, कुछ विरल ही हैं ।

There are not many; nigh rare are those editors that publish the newspaper according to the desires of the readers.

पात्रापात्रं विचार्यैव, यद् दानं क्रियते जनैः ।

तद् दानं व्यर्थतां नैति, यशस्तेनापि वर्धते ॥२८३॥

पात्र और अपात्र का विचार करके ही जो लोगों से दान किया जाता है, वह दान व्यर्थ नहीं होता है । उस दान से तो दानकर्ता का यश ही बढ़ता है ।

That donation is not wasted if it is given considering the eligibility/need of people. Such a donation increases the donors' fame.

पालनं संविधानस्य, जनता कुरुते न वा ।

इत्येव दर्शनं कर्म, सर्वकारस्य वर्तते ॥२८४॥

संविधान का पालन जनता करती है या नहीं ? सरकार का यही देखने का काम है ।

Does the public follow the constitution or not? It's the governments' duty is to see to that.

पुत्राणामात्मनो माता, नैव कष्टानि पश्यति ।

स्वयं कष्टानि भुक्त्वाऽपि, कुपुत्रानपि रक्षति ॥२८५॥

माँ अपने पुत्रों के कष्टों को नहीं देखती । स्वयं कष्ट भोग कर भी वह माता अपने कुपुत्रों की रक्षा करती है ।

A mother cannot see the suffering of her children. Even she will suffer to protect her bad children.

पुत्रीवद् यदि मन्येत, श्वश्रूः पुत्रवधूं निजाम् ।

लक्ष्म्यास्तस्मिन् गृहे वासात्, सुखं स्वर्ग्यं सुलभ्यते ॥२८६॥

यदि सास पुत्रवधू को अपनी बेटी की तरह माने, तो उस घर में दो लक्ष्मियों के निवास करने से स्वर्गीय सुख सुलभ हो जाता है ।

If a mother-in-law would treat her daughter-in-law like her daughter, then in that house, heavenly happiness would be possible as two Lakshmis, goddesses of wealth are living in the house.

पुरस्कार – प्रलोभन, कार्यं सिध्यति सत्वरम् ।

प्रतिस्पर्धि-कृता सज्जा, परस्योत्साह-वर्धिका ॥२८७॥

पुरस्कार के लालच से काम जल्दी बन जाता है । प्रतिस्पर्धियों के द्वारा की गयी तैयारी दूसरों का भी उत्साह बढ़ाने वाली होती है ।

Work is quickly done because of the greed for the reward. Readiness done/achieved by the competitors increases the enthusiasm of others, also.


पुराणं पूर्णरूपेण, श्राव्यते न च वाच्यते ।

अर्जयन्ति किं पापं, कथाभट्टा ? निगद्यताम् ॥२८८॥

जब कोई भी पुराण पूर्णरूप में न सुनाया जाता है और न बाँचा जाता है, तब क्या कथाभट्ट इससे पाप अर्जित नहीं करते हैं ? बताओ ।

Doesn't the reader acquire sin when the story of any Purana is neither fully told nor heard? Do say.





प्रकाशक : **विश्वगुरुदीप आश्रम शोध संस्थान** - कीर्ति नगर, श्याम नगर, सोढाला, जयपुर

Website : vgda.in Youtube : www.youtube.com/c/vishwagurudeepashram E-mail : jaipur@yogaindailylife.org